भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*311
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

युवाओं हेतु रोज़गार के लिए योजनाएं

***311. श्री एम. शनमुगमः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में लोगों, विशेष रूप से बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु क्या-क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं;
(ख) देश में रोज़गार के अवसरों के सृजन के लिए कुल कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं तथा इन योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
**

"युवाओं हेतु रोज़गार के लिए योजनाएं" के संबंध में श्री एम. शनमुगम, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक **24-03-2021** के तारांकित प्रश्न संख्या ***311** के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति अनुबंध **{**(क) से (घ)**}** में दी गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 10 मार्च, 2021 तक, इसकी शुरूआत से योजना के तहत 28.35 करोड़ ऋण खाते में, 14.79 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए 3 वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ लेने के लिए 16.49 लाख कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया था।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई (2016-20) के रोजगार से जुड़े अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत, 28.02.2021 को, 36.40 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है; जिसमें से देश भर में 18.67 लाख अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 24.03.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *311 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21#
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1744	1832	744	824
2	आंध्र प्रदेश	12216	17760	17536	9848
3	अरुणाचल प्रदेश	1672	2240	1688	240
4	असम	18256	29896	20824	11080
5	बिहार	18456	26424	17768	9192
6	चंडीगढ़	360	224	112	56
7	छत्तीसगढ	11704	24752	22488	13304
8	दिल्ली	920	1056	744	328
9	गोवा	400	624	720	264
10	गुजरात*	15008	28000	31864	19344
11	हरियाणा	13744	17320	16232	10360
12	हिमाचल प्रदेश	7088	11192	9808	6096
13	जम्मू और कश्मीर	30024	60232	42840	48872
14	झारखंड	8888	14376	12352	6976
15	कर्नाटक	16920	29256	29576	25520
16	केरल	10776	19888	19368	12344
17	लक्षद्वीप	00	00	00	08
18	मध्य प्रदेश	14432	20208	17644	22080
19	महाराष्ट्र**	26632	45136	35232	15928
20	मणिपुर	4800	10328	9384	5808
21	मेघालय	600	3120	3016	960
22	मिजोरम	1992	8984	6080	2448
23	नागालैंड	7440	9664	8872	2456
24	ओडिशा	19192	24560	21744	13376
25	पुडुचेरी	352	608	512	232
26	पंजाब	12160	14408	13560	8920
27	राजस्थान	12614	18872	24200	15640
28	सिक्किम	296	440	632	272
29	तमिलनाडु	32760	41480	14376	30288
30	तेलंगाना	9520	16408	17424	9528
31	त्रिपुरा	8928	9432	7696	3768
32	उत्तर प्रदेश	43456	41944	48960	59048
33	उत्तराखंड	12904	17448	14752	12784
34	पश्चिम बंगाल	10928	19304	17776	10624
35	यूटी लद्दाख				1128
	योग	387184	587416	533224	389944

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

* दमन और दीव सहित

** दादर और नगर हवेली सहित

28.02.2021 को

(ख) पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा।

प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.स.	राज्य	वि.व.2017-18	वि.व.2018-19	वि.व.2019-20	वि.व.2020-21 (19-03., 2021 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	10954	24894	10795	1,939
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	33
3.	असम	3464	7397	13873	3,047
4.	बिहार	4859	5851	5861	2,733
5.	छत्तीसगढ	539	2583	3842	3,645
6.	गुजरात	160	1482	2249	857
7.	हरियाणा	5832	3548	6200	1,213
8.	हिमाचल प्रदेश	0	504	933	106
9.	जम्मू और कश्मीर	1424	631	1288	1,931
10.	झारखंड	2375	3585	8235	1,879
11.	कर्नाटक	4752	5411	7226	1,571
12.	केरल	4175	9656	8456	2,649
13.	मध्य प्रदेश	1823	4936	7305	969
14.	महाराष्ट्र	7390	4500	12756	2,677
15.	मणिपुर	0	0	573	381
16.	मेघालय	0	253	686	158
17.	मिजोरम	0	0	359	88
18.	नागालैंड	0	0	403	278
19.	ओडिशा	14035	31455	30595	7,377
20.	पंजाब	563	1443	1311	1,770
21.	राजस्थान	693	3381	4692	1,451
22.	सिक्किम	0	64	32	43
23.	तमिलनाडु	765	185	3324	1,286
24.	तेलंगाना	9048	15604	6839	1,436
25.	त्रिपुरा	526	2093	524	94
26.	उत्तर प्रदेश	892	4839	7341	408
27.	उत्तराखंड	0	253	672	3,918
28.	पश्चिम बंगाल	1518	3700	3829	2,537
	योग	75787	138248	150199	46474

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

एनजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (23.03.2021 को)
1	आंध्र प्रदेश	2,120	2,466	2,002	2,416
2	अरुणाचल प्रदेश	43	69	86	118
3	असम	481	533	624	868
4	बिहार	817	1,234	1,418	2,173
5	छत्तीसगढ	1,199	1,386	1,362	1,720
6	गोवा	1	0.1	0.3	1
7	गुजरात	353	420	354	469
8	हरियाणा	90	78	91	174
9	हिमाचल प्रदेश	220	285	259	322
10	जम्मू और कश्मीर	371	368	314	380
11	झारखंड	593	537	642	1,127
12	कर्नाटक	857	1,045	1,119	1,425
13	केरल	620	975	802	986
14	लद्दाख	NA*	NA*	19	20
15	मध्य प्रदेश	1,622	2,029	1,931	3,339
16	महाराष्ट्र	825	846	630	633
17	मैनपुर	61	117	234	308
18	मेघालय	292	342	370	354
19	मिजोरम	144	181	193	199
20	नागालैंड	200	133	138	175
21	ओडिशा	922	830	1,115	2,013
22	पंजाब	223	204	235	359
23	राजस्थान	2,398	2,942	3,289	4,445
24	सिक्किम	35	34	29	35
25	तमिलनाडु	2,389	2,577	2,485	3,208
26	तेलंगाना	1,148	1,177	1,071	1,516
27	त्रिपुरा	176	253	344	425
28	उत्तर प्रदेश	1,815	2,121	2,445	3,869
29	उत्तराखंड	223	222	206	291
30	पश्चिम बंगाल	3,126	3,383	2,723	4,089
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	2	2
32	लक्षद्वीप	0.1	0.1	0.04	0.02
33	पुडुचेरी	7	7	8	10
	योग	23,373	26,796	26,542	37,469

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय (https://www.nrega.nic.in)

(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा

		कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के नियोजन की संख्या				
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व.2017-18	वि.व.2018-19	वि.व.2019-20	वि.व.2020-21	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	11486	54376	983	0	74024
2	अरुणाचल प्रदेश	328	620	1	0	949
3	असम	719	464	1592	29	2870
4	बिहार	2380	1250	1275	103	7142
5	छत्तीसगढ	7163	5253	1149	71	15283
6	गोवा	314	1253	160	248	1990
7	गुजरात	8145	13202	4716	1034	35534
8	हरयाणा	2059	4070	1804	601	8968
9	हिमाचल प्रदेश	167	461	214	106	1154
10	जम्मू और कश्मीर	85	202	84	1	403
11	झारखंड	16097	8604	2515	292	36924
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0
13	केरल	3232	4888	2508	165	11068
14	मध्य प्रदेश	7824	34449	5599	1587	99647
15	महाराष्ट्र	15876	34722	34832	1226	91502
16	मणिपुर	0	104	87	0	192
17	मेघालय	157	212	17	1	400
18	मिजोरम	171	1535	838	158	2936
19	नागालैंड	0	1	0	0	1
20	ओडिशा	461	0	0	0	4475
21	पंजाब	2213	1370	2398	633	7304
22	राजस्थान	919	2734	1857	74	5599
23	सिक्किम	0	246	0	0	340
24	तमिलनाडु	3767	3030	322	63	7811
25	तेलंगाना	7691	5483	1876	0	17232
26	त्रिपुरा	5	228	6	0	239
27	उत्तर प्रदेश	6729	924	2456	157	76164
28	उत्तराखंड	3716	1069	77	0	7879
29	पश्चिम बंगाल	6319	8949	3649	585	20789
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	163	504	488	7	1165
32	दिल्ली	0	21	0	0	21
	योग	108186	190224	71503	7141	540005

स्रोतः आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय